

युक्तदमा संख्या 84/18 विविध

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर,
एम.आई.रोड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

—प्रार्थी

: ब न अ म :

1. श्रीमति सावित्री देवी मदान निवासी— खेरपुर भवन के सामने, कमला कॉलोनी, बीकानेर-334001 नार्फत विमल कुमार सुधार, डूडी निधान वाली गली, चौकुटी फाटक, बीकानेर
2. निर्मल कुमार मदान पुत्र श्री सुभाष चंद्र, निवासी खेरपुर भवन के सामने, कमला कॉलोनी, बीकानेर-334001 नार्फत विमल कुमार सुधार, डूडी निधान वाली गली, चौकुटी फाटक, बीकानेर -334001

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल
एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।



: आ दे श :

दिनांक 27.03.19

1. प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा के तौर पर दिनांक 31.03.14 व 27.05.15 को रुपये 23,70,777/- एवं रुपये 3,15,625/- की राशि उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्लॉट नं. 15 बी, कमला कॉलोनी, बीकानेर स्थित को प्रार्थी कम्पनी के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/कम्पनी के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी/ऋणी के खाते को दिनांक 01.06.17 व 01.07.17 को एन.पी.ए. धोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के खाते में रुपये 23,03,938/- व रुपये 304812/- 29.01.18 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च कम्पनी के विरुद्ध बकाया निकलते हैं। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते को एन.पी.ए. धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी/ऋणी/जमानती को दिनांक 29.01.18 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना-पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/ऋणी/जमानती द्वारा प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थी कम्पनी द्वारा इस प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. प्रार्थी कम्पनी के इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थी के अनुपस्थित होने पर प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता की ईकतरफा बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी/ कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी कम्पनी के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी के यहां से ऋण के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी कम्पनी के यहां बंधक है को प्रार्थी कम्पनी अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण/ऋणी, प्रार्थी/ कम्पनी के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/ कम्पनी के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण/ऋणी व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/ कम्पनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/ कम्पनी को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/ कम्पनी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण को देवें।

6. आदेश आज दिनांक 27.03.19 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुमार मिल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला कलेक्टर, बीकानेर